

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

2022/220

प्रशासन शांति के संग
अ. नं. 1-2021

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम बन्धुकेडा
जमाबन्दी सम्बत् 2016 से 2019 के खाता संख्या 808
में जोरा नाम सावर लाल उदयलाल जाट एवं जबकि मेरा
वास्तविक नाम सावर लाल पुत्र उदयलाल जाट है।
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक:- 23/11/22

प्रार्थी

सावर लाल गोर

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम बन्धुकेडा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बत् 2016 से 2019
खाता संख्या 808 में प्रार्थी का नाम सावर लाल दर्ज है। जबकि मुताबिक संल
दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम सावर लाल है जो संशोधित कि
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भूअ.नि.

पटवारी 23/11/22

प. न. क. के. के.

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
पर रिपोर्ट पटवारी बन्धुकेडा व भूअ.नि. ब. न. क. के. के. एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार
ग्राम बन्धुकेडा की जमाबन्दी सम्बत् 2016 से 2019 की खाता संख्या 808 में प्रार्थी
नाम सावर लाल के बजाय सावर लाल किये जाने हेतु अभिशंभा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम बन्धुकेडा जमाबन्दी सम्बत् 2016-19 ख
संख्या 808 में दर्ज प्रार्थी का नाम सावर लाल के स्थान पर सावर लाल संशोधन
आदेश दिये जाते हैं।

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड 158/22
10/8/22